बड़ौदा यू.पी. बैंक
Baroda U.P. Bank

क्षेत्रीय कार्यालय, बलदेव निवास कम्पाउन्ड, रीडगंज, फैज़ाबाद–224001
फोन नं.–05278 244032 फैक्स नं.– 05278 241706

सार्वजनिक बिक्री/ नीलामी सूचना (अचल सम्पत्तियों हेतु)

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित कि प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) (सरफेसी अधिनियम, 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 6(2) और/या नियम 8(6) के अधीन नीलामी सूचना

जैसाकि, उक्त कथित सरफेसी अधिनियम, 2020 की धारा 13(2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13(2) में पठित नियम 3 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **बड़ौदा यू. पी. बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक मांग सूचना जारी की जिसमें तथा कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं) /बंधककर्ता (ओं) को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना के अनुसार राशि का भुगतान करने को कहा गया और जैसाकि कर्जदार (रों) / गारंटीदाता (ओं) /बंधकदाता (ओं) ने राशि का भुगतान नहीं किया और अतः अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13(4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और / या नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति/संपत्तियों (इसके बाद कथित सम्पत्तियों नाम से निर्दिष्ट का कब्जा ले लिया है जैसा कि अधोहस्ताक्षरी, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) (ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में कथित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंकों के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। एतद्वारा जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को सूचना दी जाती है है कि निम्नवर्णित अचल समपत्ति जो प्रतिभूत लेनदारों के पास बंधक / प्रभारित पड़ी है, जिसका रचानात्मक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक, प्रतिभूत लेनदार द्वारा ले लिया गया है, जिसे निम्नांकित बकायों की वसूली हेतु निम्नांकित सारणी में अंकितानुसार तिथि को **"जैसा है जहां है, जैसा है जो है" और "जो है वही है"** आधार पर बेचा जाएगा। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को एतदद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्रधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली / निविदाएं / कोटेशन्स आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों / बोलीदाताओं को 27.05.2022 को या उससे पहले, **बड़ौदा यू. पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बलदेव निवास कम्पाउण्ड, रीडगंज, फैजाबाद** के मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोली 30.05.2022 को खोली जाएगी।

क्र. सं.	ऋणी/बंधककर्ता का नाम	सम्पत्ति का विवरण/मालिक का नाम	मांग सूचना तिथि/ अधिग्रहण तिथि/ अधिग्रहण प्रकार	बकाया धनराशि (रू0)	आरक्षित मूल्य (रू0) / धरोहर राशि (रू0)
शाखाः आर बी एन गोसाईगंज, मो0– 7839884357					
1.	श्री पवन कुमार प्रजापति पुत्र श्री खदेरू प्रजापति	सम्पत्ति/भूमि प्लॉट सं. 279 का साम्यिक बंधक, सेल डीड सं. 3832, दिनांकः 19.09.2005, क्षेत्रफल– 412.5 वर्गफुट, ग्राम– अंकारीपुर, मोहल्ला– कटरा, परगना– अमसिन, तहसील– सदर, जिला– अयोध्या **मालिक**– श्रीमती शुभावती देवी पत्नी श्री खदेरू प्रजापति **चौहद्दीः पूर्वः** पोस्ट ऑफिस की चौहद्दी, **पश्चिमः** खरंजा और बक्शउल्लाह का मकान आगे, **उत्तरः** अमर नाथ का मकान, **दक्षिणः** जीवन लाल का मकान	**30.09.2021** **17.12.2021** सांकेतिक कब्जा	**रू. 5,19,130/–** + दिनांक 19.09.2021 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्चे (घटायें मांग सूचना के बाद जमा राशि)	**12,96,000.00** **1,29,600.00**
शाखाः कटकानूरपुर कला, मो0– 7839884313					
2.	मेसर्स मानस इन्डस्ट्रीज प्रो0 श्री अमर शुक्ला	सम्पत्ति/भूमि प्लॉट सं. 3187 का साम्यिक बंधक, सेल डीड सं. 2424/2012, दिनांकः 06.09.2012, क्षेत्रफल– 2070 वर्गफुट, ग्राम– भियांव, पोस्ट–रफीगंज, परगना– सुरहूरपुर, तहसील– जलालपुर, जिला– अम्बेडकरनगर **मालिक**– श्री राम नवल पुत्र श्री श्री नाथ,, **कानूनी वारिसः** श्री अमर शुक्ला पुत्र दयाराम शुक्ला **चौहद्दीः पूर्वः** राम नवल का प्लॉट, **पश्चिमः** सूर्य नारायण का प्लॉट, **उत्तरः** सूर्य नारायण का प्लॉट, **दक्षिणः** चक रोड	**15.11.2021** **20.01.2021** सांकेतिक कब्जा	**रू. 7,68,333/–** + दिनांक 31.10.2021 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्चे (घटायें मांग सूचना के बाद जमा राशि)	**19,10,800.00** **1,91,080.00**
शाखाः मुमताज़ नगर, मो0– 7839884339					
3.	मेसर्स राज फूड प्रोडक्ट्स प्रो0 श्री राज करण	सम्पत्ति/भूमि प्लॉट सं. 336 का साम्यिक बंधक, सेल डीड सं. 1463/12, दिनांकः 31.08.2012, क्षेत्रफल– 560 वर्गफुट, ग्राम– गौहनिया, परगना– मंगलसी, तहसील– सोहावल, जिला– अयोध्या **मालिक**– श्रीमती फूलमती पत्नी श्री जग प्रसाद **चौहद्दीः पूर्वः** सत्य नारायण का प्लॉट, **पश्चिमः** विक्रेता का मकान, **उत्तरः** विक्रेता का खेत, **दक्षिणः** सोहावल से मसौधा रोड	**15.09.2021** **16.12.2021** सांकेतिक कब्जा	**रू. 1,62,980/–** + दिनांक 31.07.2021 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्चे (घटायें मांग सूचना के बाद जमा राशि)	**2,82,600.00** **28,260.00**
शाखाः नसीरपुर, मो0– 7839884342					
4.	मेसर्स सुजीत कुमार प्रो0 श्री सुजीत कुमार	सम्पत्ति/भूमि प्लॉट सं. 348 का साम्यिक बंधक, सेल डीड सं. 3069/1994, दिनांकः 25.11.1994, क्षेत्रफल– 0.054 हेक्ट, ग्राम– गोपीपुर, पोस्ट– सुभाकरपुर, परगना– अकबरपुर, तहसील– भीटी, जिला– अम्बेडकरनगर **मालिक**– श्री राम जानकी पुत्र श्री माता बदल **चौहद्दीः पूर्वः** कौलेशर का प्लॉट, **पश्चिमः** चक रोड, **उत्तरः** राधेश्याम का प्लॉट, **दक्षिणः** मल्हू का प्लॉट	**18.09.2021** **16.12.2021** सांकेतिक कब्जा	**रू. 5,16,645.31** + दिनांक 31.03.2021 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्चे (घटायें मांग सूचना के बाद जमा राशि)	**21,47,950.00** **2,14,795.00**

सम्पर्क नं.: 9991259049

बिक्री के नियम एवं शर्तेः 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। **(लिफाफे के ऊपर स्पष्टतः और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए। 2.** बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में फैजाबाद में देययोग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू. पी. के पक्ष में डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा / संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा। और शेष सफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। **3.** सफल बोलीदाता को डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में अगले दिन बोली रकम (ईएमडी को छोड़कर) का 15% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी। **4.** प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली / सर्वोच्च बोली को स्वीकार / अस्वीकार / रद्द / निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री / नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। **5.** प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारों / देनदारियों / भार / करों / सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। **6.** सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटी एव पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वय करना होगा। **7.** यदि ऐसा पाया जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं की एक समान बोली रकम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। **8.** बोली/ बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को **"जैसा है जहां है", "जैसा है जो कुछ है" और "वहां जो कुछ भी है"** आधार पर बेचा जा रहा है। **9.** अगर कोई कर्जदार/ गारंटीदाता / बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकाये का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। **हालांकि कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आस्तियों को निर्गत करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 की उप – धारा (8) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन संशोधन नियमों 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रभारों के भुगतान के अधीन होगा। 10.** यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि वे सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। वे अपरान्ह 2:00 बजे से साय 5:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख कर निरीक्षण कर सकते हैं। **11.** यह बिक्री नोटिस कर्जदारों /गारंटीकर्ता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता / सर्वसाधरण के लिए सामान्तर रूप से है। **12.** बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानी **https://www.barodaupbank.in/sarfesinotice.php** देखें।

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदारों / गारंटीदाताओं / कानूनी वारिसों / बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो एसे उचित ब्याज, प्रभारों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।

दिनांकः 28.04.2022 **स्थानः अयोध्या** **प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक, फैजाबाद/अयोध्या**